Indian J. Soc.& Pol. 04(02):2017:137-142 **ISSN 2348-0084(P)**
ISSN 2455-2127(O)

भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पंथनिरपेक्षता का अनुप्रयोग

जितेन्द्र कुमार[1]
[1]शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 भारत

ABSTRACT

लोकतन्त्र विश्व के सभ्य राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का समता पर आधारित समता, स्वतंत्रता, समन्वय, सद्भाव से अनुप्राणित शासन प्रणाली है। राजतन्त्र के विपरीत, लोकतन्त्र जनकांक्षाओं की परिपूर्ति का अभिनव दर्शन है। यह जन–इच्छा की वैध अभिव्यक्ति है। यह जनता को शासन के निर्माण, शासन के विस्थापन एवं युगीन सन्दर्भ एवं परिप्रेक्ष्य में शासन का अपेक्षित संशोधन भी है। इस दृष्टि से लोकतन्त्र एक गतिशील अवधारणा है और पंथनिरपेक्षता लोकतन्त्र की गत्यात्मक ऊर्जा। अपनी भावदृष्टि में पंथनिरपेक्षता सकारात्मक, धनात्मक वैचारिकी का सूत्रपात करता है। धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म। धर्म की धारणा अच्छाई के मार्ग का निर्माण करती है प्रत्युत राजनीति बुराई से लड़ने का सशस्त्र अस्त्र है। अतएव पंथनिरपेक्षता एवं लोकतन्त्र अन्योन्याश्रित और परस्पर व्यापी हैं।

KEY WORDS: लोकतंत्र, साम्प्रदायिकता, पंथनिरपेक्षता,

भारतीय लोकतंत्र और पंथनिरपेक्षता एक दूसरे के अन्योन्याश्रित तत्व रहे हैं लोकतंत्र यदि शान्ति सद्भाव और सहचर्य से अनुप्राणित न हो; तब उसके अनवरत गतिशील रहने की प्रक्रिया अवरूद्ध हो जाती है। इतिहासकार डोनल्ड ई0 स्मिथ जिन्होंने भारत में पंथनिरपेक्षता के अध्ययन की नींव रखी, उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र और पंथनिरेपेक्षता परस्पर अन्तर्सम्बन्धित हैं और यदि भारत इनमें से किसी एक को उपेक्षित कर देता है तो दूसरे का अस्तित्व स्वयं ही कमजोर हो जाएगा।(स्मिथ,1963 पृ084)

भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति रही है। इसकी उदारता तथा समन्वयवादी गुणों ने अन्य संस्कृतियों को समाहित तो किया है, किन्तु अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित बनाये रखा है। भारतीय संस्कृति, निरन्तरता, लचीलापन और सहिष्णुता, ग्रहणशीलता, आध्यात्मिकता एवं भौतिकता की समन्वयात्मकता, अनेकता में एकता जैसी अद्भुत विशेषताओं का संयोजन है।

धर्म मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही किसी न किसी रूप में मानव–जीवन को प्रभावित करता रहा हैं। धर्म मानव का अपने से परे एक ऐसी शक्ति में विश्वास है जिससे वह अपनी संवेगात्मक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करता है तथा जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है। एक व्यापक अभिवृत्ति के रूप में यह मानव जीवन के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक व राजनैतिक प्रवृत्तियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। धर्म के अर्थ के सम्बन्ध में पाश्चात्य जगत और भारतीय मनीषियों की अपनी–अपनी मान्यताएं हैं। धर्म के पाश्चात्य अर्थ को 'रिलीजन' शब्द से ही समझा जा सकता है। रिलीजन शब्द ईश्वर में विश्वास और उसमें निष्ठा की बात करता है।(कांट,2001 पृ072) एडवर्ड बर्नेट टेलर ने रिलीजन को आध्यात्मिकता में विश्वास (The belief in spiritual beings) कहा है।(टेलर,1871 पृ04) भारतीय मनीषी धर्म की मान्यता को व्यापकता प्रदान करते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शाब्दिक दृष्टिकोण से धर्म शब्द 'धृ' धातु से बना है और इसका अर्थ वह है ; जो किसी वस्तु को धारण करे या उस वस्तु का अस्तित्व बनाए रखे। महाभारत में स्पष्टतया उल्लेख है– **'धारणाद्धर्ममित्याहुधर्मो धारयति प्रजाः... ।'** अर्थात् धारण करने वाले को धर्म कहते हैं, धर्म प्रजा को धारण करता है।(महाभारत) वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि **'यतोभ्युदयनिः श्रेयश्स् सिद्धिष्च स धर्मः।'** अर्थात् जिससे इस लोक में अभ्युदय (लौकिक उन्नति) और परलोक में (परम कल्याण) की प्राप्ति हो; वह धर्म है।(कणाद,बैशेषिक दर्शन,1.1.2) मीमांसकों के अनुसार, **'चोदना लक्षणार्थो धर्मः'** अर्थात् भगवद्–आज्ञा धर्म का लक्षण है अथवा शास्त्र से अनुशासित या स्वीकृत कर्म या आचरण पद्धति ही धर्म है।(पूर्व मीमांसा,1.1.2) भारत में धर्म का प्रयोग–क्षेत्र कितना विशाल था यह इसी बात से पता चल जाता है कि मातृ धर्म, पितृ धर्म, पुत्र–धर्म, राज–धर्म जैसी अवधारणाएँ धर्म कहीं गयीं। स्पष्ट है कि , भारतीय दृष्टिकोण धर्म को विशद आकार देता है और ''रिलीजन'' से अपने आपको बहुत पृथक स्थापित करता है।

धर्म (रिलीजन) में विकृतियों, कुरीतियों के आने से समाज प्रभावित होने लगा। यूरोप में मध्यकाल जिसे कि अन्धकार युग कहा गया धर्मनिरपेक्षता अर्थात् सेकुलरिज्म का स्रोत बना। तात्कालिक राजसत्ता में पोप एवं चर्च का निर्णायक हस्तक्षेप दिनोंदिन बढ़ता चला गया जिसके परिणामस्वरूप विरोध

1:Corresponding Author

के स्वर उठने प्रारम्भ हो गए। मैकियावेली ने धर्म को नैतिक राजसत्ता से दूर रखने पर बल दिया । उसने राजनीति को तत्वमीमांसा और धर्ममीमांसा के प्रतिमानों से मुक्त करके ऐतिहासिक एंव यथार्थवादी आधार प्रदान किया।(गावा,2016 पृ080) बुद्धिवाद एवं पुनर्जागरण के काल में धीरे–धीरे राजनीति और धर्म को अलग करने की परिणामकारी कोशिश की गयी। यह परिणामकारी प्रयास उत्तर में धर्मनिरपेक्षता शब्द से प्रचलित हुआ जिसे सेकुलरिज्म कहना अधिक उपयुक्त रहेगा। ''सेकुलरिज्म'' शब्द का अर्थ है– सरकारी संस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं को पृथक–पृथक रखना। ''सेकुलरिज्म'' का पर्याय यह है कि राज्य का न तो धर्म से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध होगा और न ही धर्म का राज्य से । ''सेकुलरिज्म'' का एक और पक्ष यह है कि राजनीतिक, सार्वजनिक गतिविधियों और निर्णयों को धार्मिक प्रभाव से मुक्त रखा जाएगा। धर्मनिरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश विद्वान जार्ज जैकब होलयोक द्वारा 1851 में किया गया।(होलियांक,1896 पृ051) सेकुलरिज्म आधुनिकता, बौद्धिकता और धर्म को सिरे से नकारने की भावना को पुष्पित –पल्लवित करता है।

भारत के लिए सेकुलरिज्म शब्द सटीक नहीं है क्योंकि यहॉ सेकुलरिज्म की मूल भावना के लिए कोई स्थान नही रहा है। भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि सेकुलरिज्म का अनुवाद धर्मनिरपेक्षता शब्द के रूप में होता है। लेकिन ध्यान रहे कि यह धर्मनिरपेक्षता कतई धर्म और राजनीति में पृथक्करण की बात नही करती। भारतीय दृष्टिकोण मे धर्मनिरपेक्षता शब्द नये सिद्धान्त का पर्याय अवश्य हो सकता है किन्तु भारतीय संस्कृति की बुनियाद में ही सहअस्तित्व की भावना विहित है। सर्वधर्म समभाव इसके मूल में है। सम्राट अशोक सर्वधर्म समभाव के प्रणेता कहे जा सकतें है। ''धम्म'' के विषय में उनके विचार–'कियं चु धम्म? दय्या दाने सचे सोचये, माधवे साधवे च'। अर्थात् ''धम्म'' क्या हैं? दया, दान, ही तो है। अशोक द्वारा अपने राज्य में वृक्ष लगवाना, प्याऊ खुदवाना और जनकल्याणी कार्यों का प्रतिपादन करवाना धर्म नही तो और क्या है। बिना किसी आधार के किसी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म को सर्वोच्च घोषित करना और दूसरे की बुराई करना, सम्मानजनक नहीं हैं।(कश्मीरा एण्ड केसर,2007) इसी प्रकार कौटिल्य के राजा प्रजाधर्म का पालन करते हैं। **(प्रजासुखे सुखं राज्ञः.....)**

कमोबेश हिन्दू, जैन, बौद्ध और सिक्ख धर्म और मूल इस्लाम धर्म, धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता हेतु किसी न किसी रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ तक कि जैन, बौद्ध और सिक्ख धर्म को हिन्दू धर्म का ही पन्थ स्वीकार किया गया है। इन धर्मों द्वारा प्रतिकार का प्रारम्भ तब हुआ जब 12वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हुआ।(थामस,1974 पृ026.27) जैसा कि विदित है कि इस्लाम का धार्मिक एवं राजनीतिक स्वरूप हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्मों से अत्यधिक भिन्न है, को स्वीकार करने में भारत में मतावलम्बियों को समस्या हुई। चूंकि इस्लामी साम्राज्य ने अपने मान्यताओं और पूजापद्धतियों को भारत में मौजूद पूर्व की पूजापद्धतियों पर लादना शुरु किया जिसका दबे स्वर मे व्यापक विरोध दिखायी दिया।'' मुगलों के आगमन के पश्चात् जिस प्रकार से शरीयत के नियम एवं जजिया कर बहुसंख्यक समाज पर थोपे गये उससे यहाँ सर्वधर्म समभाव की अवधारणा क्षत–विक्षत हो गयी; यद्यपि अकबर मुगल कालीन सम्राटों में अपवाद रहे। अकबर के उत्तराधिकारी औरंगजेब के द्वारा इस्लाम को राज्य का धर्म घोषित करना, मंदिरों का तोड़ा जाना और विभेदात्मक जजिया कर लगाया जाना निश्चिततौर पर भारतीय जनमानस की मनोभावना ; जो कि सर्वधर्म समभाव एवं अमन पसन्द थी; को व्यापक आघात लगा।(मिश्रा,1987,पृ060.83)

16वीं शताब्दी के पश्चात जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह स्थापित हो गयी तो ब्रिटिश शासन के साथ–साथ ईसाइयत का भी भारत में प्रवेश हुआ। इस प्रकार भारत में विभिन्न पूजापद्धियों का आपसी टकराव स्वाभाविक सी बात बनती चली गयी। उपनिवेश शासन के दौरान पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता (सेकुलरिज्म) की अवधारणा के समान राज्य एवं धर्म को अलग नही किया गया अपितु हिन्दू, मुस्लिम तथा ईसाइयों हेतु 'कानून के समक्ष समानता' की अवधारणा प्रस्तुत की गयी।(गेराल्ड,2001) ब्रिटिश राज ने 20वीं शताब्दी में अपने विरूद्ध बढ़ते हुए स्वदेशी आन्दोलनों से घबराकर कुछ ऐसी चालें चलीं; जिसका प्रभाव वर्तमान सामजिक एवं राजनीतिक परिदृष्य में स्पष्ट देखा जा सकता है। 1909 और 1919 के अधिनियमों में जिस प्रकार साम्प्रदायिक राजनीति का उदय हुआ, उससे भारतीय धर्मनिरपेक्षता को गहरा आघात हुआ।(चन्द्रा,1997,पृ0166) मुहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम समुदाय का अपनी राजनीति के लिए प्रयोग करना और भारत विभाजन की मॉग करना, धर्मरिपेक्षता के भारतीय मूल्यों का विलोम ही तो है।(नंदा,2010 पृ038)

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखते थे। उनका मानना था कि धर्म और नैतिकता से परिपूर्ण राजनीति को मिलाकर कार्य करना चाहिए। उनका मानना था कि सर्वधर्म समभाव ही राष्ट्र–प्रगति का मूलमंत्र है।(सिंह 2003 पृ0104)

भारतीय संविधान सभा में व्यापक चर्चा के पश्चात् 26 नवम्बर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ वह भारतीय जनमानस की उम्मीदों का प्रपत्र था। संविधान के द्वारा समाज के हाशिए पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रावधान किये गये । सन् 1947 में आजादी मिलने के पश्चात् जब भारत ने अपनी यात्रा शुरु की तो 1920 से प्रारम्भ हुए राष्ट्रीय आन्दोलन के बाद की राजनीतिक सोच का दायरा अपेक्षाकृत छोटा था । वर्ष 1946–47 में हुए विभाजन के भीषण दंगों ने इस अभिमत को बल प्रदान किया कि सार्वजनिक जीवन में धर्म के नाम पर अदूरदर्शी निर्णय लिये जाने से किस तरह से इतिहास को गहरे घाव झेलने पडते हैं । अतः उनकी कड़वी यादें राष्ट्र के भविष्य

को संभालने वाले नेताओं और विद्वज्जनों के मनोमस्तिष्क में तरोताजा थीं। क्योंकि वे उन घटनाओं के प्रत्यक्षद्रष्टा थे। संविधान सभा में चर्चा के द्वारा धर्म आधारित आरक्षण की माँग की गयी। जिसे प्रत्येक समुदाय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। परन्तु भारतीय संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सभी भारतीयों हेतु कानून के समक्ष समानता के सिद्धान्त का सूत्रपात किया।

भारत एक सम्प्रभु राज्य है जो कि अपने समस्त नागरिकों को अनेक प्रकार से सुरक्षा, समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकार गारंटी देता है। संविधान की उद्देशिका संविधान का प्राण है। उसको किसी भी संविधान का मूलाधार माना जाता है। किसी भी संविधान की उद्देशिका से यह आशा की जाती है कि जिन मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन पर वह संविधान आधारित हो ; तथा जिन लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संविधान निर्माताओं ने राजव्यवस्था को निर्देश दिया हो, उनका उसमें समावेश हो।(कश्यप,1996 पृ043) संविधान सभा ने जिस रूप में संविधान को स्वीकृत किया था, उसमें धर्मनिरपेक्षता अथवा पंथनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख नही था । 42वें संविधान संशोधन 1976 के पश्चात संविधान की प्रस्तावना में ''पंथनिरपेक्षता'' शब्द जोड़ा गया। ''धर्मनिरपेक्षता'' जो कि पहले पश्चिमी मान्यता सेक्लयूरिज्म का शब्दार्थ माना जाता था कालान्तर में मान्य न रहा; क्योंकि राज्य के लिए अब पूर्णतया धर्म को लेकर तटस्थ रहना सम्भव न रहा। संविधान के प्राधिकृत हिन्दी पाठ में अब ' पंथनिरपेक्षता' शब्द का प्रयोग किया गया है। 42वें संशोधन से पूर्व, 'सेक्यूलर'' शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25(2) में आया था जिससे राज्य को धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी भी 'लौकिक –क्रियाकलाप' का विनियमन या निर्बन्धन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। पंथनिरपेक्षता को प्रस्तावना में जोड़े जाने से पूर्व संविधान के अनुच्छेद –15,16,25–28 और 29–30 में उपर्युक्त भावना निहित थी। अर्थात् कहा जाय तो संविधान में अप्रत्यक्षतौर पर पंथनिरपेक्षता की मूल भावना का उल्लेख था। *सेंट जेवियर कालेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य* के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 1974 में निर्णय दिया कि भले ही संविधान में पंथनिरपेक्ष राज्य की बात नही कही गई है, फिर भी इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि संविधान निर्माता इसी तरह का राज्य स्थापित करना चाहते थे।(1974 ए आई आर 1389)

न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकर ने भारतीय संविधान में उल्लिखित पंथनिरपेक्षता की परिभाषा करते हुए बताया कि ''नागरिकों को; नागरिकों के रूप में समान अधिकार प्राप्त हैं तथा इस परिप्रेक्ष्य में उनका पंथ अथवा मजहब अप्रासंगिक हो जाता है। राज्य किसी पंथ विशेष के प्रति आसक्ति नहीं रखता; वह अधार्मिक या धर्मविरोधी नहीं होता, वह सभी पंथों को समान संरक्षण प्रदान करता है।''(गहलोत,1998 पृ0178) न्यायमूर्ति का कथन यह स्पष्ट करता है कि भारतीय पंथनिरपेक्षता धर्म के युक्तियुक्त कार्यों और राजनीति के मध्य समन्वय स्थापित करता है। *केशवानन्द भारती तथा मिनर्वा* के मामलों में पंथनिरपेक्षता को संविधान की बुनियादी विशेषता के रूप में घोषित किया गया। उद्देशिका में पंथनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग करने के अतिरिक्त हमारे संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि धर्म को राजनीति के साथ नही मिलाने दिया जाएगा ; अथवा धार्मिक समस्याओं, विधियों और उपासना के स्थानों का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं करने दिया जाएगा। यह भी अभी तक विवादित विषय है कि कहाँ 'पंथ' शब्द का प्रयोग स्वीकार्य होगा और कहाँ धर्म अथवा सम्प्रदाय का।

भारत में पंथनिरेक्षता का अर्थ है कि राज्य के समक्ष समस्त धर्म समान हैं। भारत में सभी धर्मों के 'पर्सनल लॉ' राज्य पर बाध्यकारी हैं और राज्य सभी धर्मों में विभिन्न तरीकों से भागीदारी करता है। वर्ष 1976 में जब पंथरिपेक्षता को उद्देशिका का भाग बनाया गया था ; उसके पूर्व भारत धार्मिक पूर्वाग्रहों और कट्टरपंथिता का शिकार हो चुका था। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं है कि भारत विभाजन की जड़ में धर्म का महत्वपूर्ण योगदान था। पं0 जवाहर लाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे; उन्होंने साम्प्रदायिकता को भारत से बाहर करने में काफी हद तक सफलता अर्जित की। धर्मनिरपेक्षता के विषय में पं0 नेहरू का विचार था कि ''मेरी समझ से धर्मनिरपेक्षता वह है जिसमें विभिन्न धर्मों को मानने वालों और कोई भी धर्म न मानने वालों को राज्य द्वारा समान रूप से स्वतंत्रता एवं मौलिक समानता प्रदान की जाय। धर्मनिरपेक्षता और वृहद अर्थ में सामाजिक एवं राजनीतिक समानता भी है। लेकिन जाति आधारित भेदभावपरक समाज धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता हैं।''(जुकरमैन एण्ड जान,2017 पृ0217) नेहरू काल में धर्मनिरपेक्षता को व्यापक अर्थों में लिया गया। लाल बहादुर शास्त्री और इन्दिरा गाँधी के काल में कुछ व्यापक दंगे हुए और जनमानस व्यापकतौर पर प्रभावित हुआ; यद्यपि इन्दिरा गाँधी सरकार ने 1976 में पंथनिरपेक्षता को प्रस्तावना में जोड़कर राज्य की ''पंथनिरेक्षता'' को स्पष्ट करने का प्रयास किया।

भारत में 1976 के बाद की राजनीति जातिगत एवं धार्मिक मुद्दों से प्रभावित होती चली गयी और कोई भी दल इनसे बच न सका। चाहे राजीव गाँधी का काल हो या पी0वी0 नरसिंम्हा राव का, वी0पी0 सिंह अथवा अटल बिहारी बाजपेयी का, मनमोहन सिंह अथवा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ; चुनावों में साम्प्रदायिकता, सम्प्रदाय विशेष का तुष्टीकरण, जातिगत विभेद से सम्बन्धित मुद्दे प्रभावी रहे, जिसका व्यापक सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ा।

भारत में विभिन्न कालों में हुए कुछ वीभत्सकारी धार्मिक दंगे और धर्मनिरपेक्षता की भावना को क्षति पहुचाने वाली घटनाएँ/दंगों का विवरण संक्षेपतः निम्नानुसार है। निम्नांकित घटनाओं के सम्बन्ध में सुधी पाठक विश्लेषणात्मक क्षमता रखते हैं ऐसा मैं मानता हूँ–

क्र.स.	वर्ष/दिनांक	स्थान/प्रदेश	कार्यरत मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री	तत्समय सत्तासीन राजनीतिक दल
1.	फरवरी 1961	जबलपुर, मध्य प्रदेश	के0एन0 काटजू	कांग्रेस
2.	मार्च, 1964	कोलकाता (पं0 बंगाल)	पी0 चन्द्र सेन	कांग्रेस
3.	अगस्त, 1967	राँची (बिहार)	महमाया पी0डी0 सिन्हा	जनक्रान्ति दल
4.	सितम्बर, 1969	अहमदाबाद (गुजरात)	हितेन्द्र के0 देशाई	कांग्रेस
5.	मई, 1974	दिल्ली	इन्दिरा गाँधी (प्र0)	कांग्रेस
6.	अक्टूबर, 1977	वाराणसी (उ0प्र0)	रामनरेश यादव	जनता पार्टी
7.	अप्रैल, 1979	जमशेदपुर (बिहार)	कर्पूरी ठाकुर	जनता पार्टी
8.	अगस्त, 1980	मुरादाबाद (उ0प्र0)	वी0पी0 सिंह	कांग्रेस
9.	अक्टूबर, 1980	गोधरा (गुजरात)	माधव सिंह सोलंकी	कांग्रेस
10.	अक्टूबर, 1984	दिल्ली एवं अनेकत्र	प्रधानमंत्री राजीव गाँधी	कांग्रेस
11.	मई, 1987	मेरठ (उ0प्र0)	वीर बहादुर सिंह	कांग्रेस
12.	फरवरी, 1989	बाम्बे, (महाराष्ट्र)	शरद पवार	कांग्रेस
13.	बाबरी विध्वंस, 1992	फैजाबाद एवं देश मे विभिन्न स्थानों पर	नरसिम्हा राव (प्रधानमंत्री)	कांग्रेस
14.	फरवरी, 2002	गोधरा (गुजरात)	नरेन्द्र मोदी	भाजपा
15.	अक्टूबर, 2005	मऊ (उ0प्र0)	मुलायम सिंह यादव	सपा
16.	जुलाई, 2008	इन्दौर (मध्य प्रदेश)	शिवराज सिंह	भाजपा
17.	अगस्त, 2013	मुजफ्फर नगर (उ0प्र0)	अखिलेश यादव	सपा

स्रोतः आनलाइन इनसाइक्लोपीडिया आफ मास वायलेंस 1946. 1985 एण्ड 1986.2011

एमनेस्टी इण्टरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2005–2009 के दौरान प्रत्येक वर्ष लगभग 130 लोग साम्प्रदायिक तनावों में मारे गए। जिसमें सर्वाधिक हिंसा महाराष्ट्र में हुई।

वस्तुतः वर्तमान मे भारतीय सन्दर्भ मे ''पंथनिरपेक्षता'' को स्वहित–साधन का हथियार बना दिया गया है और राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुविध प्रकार से लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को चोट पहुँचाते रहे हैं, जिसमें सर्वधर्म–समभाव की मूल भावना को तिरोहित कर सम्प्रदाय विशेष को तुष्ट करना एक परम्परा बन चुकी है। लोकतंत्र जनाकांक्षाओं का उद्गार होता है जन भावनाओं को भड़का कर यदि आपस में बैर भाव उत्पन्न किया जाय तो राजीनीति की मूल आत्मा नष्ट हो जाती है। अतः भारतीय सन्दर्भ में ''धर्मनिरपेक्षता '' शब्द के स्थान पर संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्षता शब्द स्वीकृत किया गया। जिससे भारतीय सन्दर्भो में धर्म से उपजी समस्याओं का समाधान किया जा सके। आज सेकुलरिज्म का अर्थ दूसरे धर्म के विरूद्ध बोलना एवं स्वधर्म का पक्षपोषण बन गया है । इस विकृति ने स्वस्थ विमर्श की सम्भावनाओं को व्यापक क्षति पहुँचायी है। स्वस्थ विमर्श की सम्भावना की क्षति से भारतीय राजनीति मे जो भयावह समस्या उत्पन्न हुई है, वह है–भारतीय जनमानस की किंकर्तव्यविमूढ़ता। इसीकारण राजनीतिक दल अपनी कुत्सित स्वार्थपरता के कारण

विभिन्न वैचारिक विकृतियों को जन्म दे रहें हैं जो किसी भी देश के स्वस्थ जनमत निर्माण मे सबसे बडी बाधा बनते हैं जो कि लोकतन्त्र के प्रतिफल एवं संगठन की मूलभूत आवश्यकता है।

भारत मे पंथनिरपेक्षता की मूल भावना को तिरोहित कर राजनीतिज्ञों ने अपने हितानुसार उसकी अलग–अलग परिभाषा गढ़ ली है। प्रत्येक चुनाव मे सेकुलरवाद एवं सम्प्रदायवाद नामक दो छद्म विचारधाराओं के मध्य टकराव देखा जा रहा है जिसके कारण भारतीय जनमानस व्यापक रूप से दिग्भ्रमित भी हो रहा है । यह निश्चय ही भारतीय प्रजातन्त्र पर दूरगामी प्रतिगामी प्रभाव डालने वाली महाव्याधि सिद्ध हो सकती है । यह परिघटना विशेषतया कांग्रेसी सिस्टम के समापन के साथ अत्यधिक बलवती हुई। धर्मनिरपेक्षता स्वयं को 'ईश्वर और धर्म' मानने लगी है। वह साधन के स्थान पर साध्य बन बैठी है। धर्मनिरपेक्षता ने वस्तुतः अविवेकी रूप से धर्म के ही विरोध का बीड़ा उठा लिया है। जबकि महान अशोक से लेकर अभी–अभी आधी शती पहले के नायक गाँधी तक धर्म और राजनीति को एक दूसरे का पूरक माना जाता रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि धर्म और राजनीति के बीच झगड़े को समाप्त कर परस्पर सामंजस्य की भावना से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाया जाये। जिसके माध्यम से सुसंगठित राजनैतिक व्यवस्था के प्रति आशान्वित हुआ जा सके।

भारतीय संविधान जिस पंथनिरपेक्षता के सिद्धान्त की वकालत करता है उसके सन्दर्भ में कतिपय विन्दुओं पर विचार किया जा सकता है; जो कि अधोवत् हैं –

(1) पंथनिरपेक्षता को विस्तृत अर्थ में लिया जाना चाहिए, पाश्चात्य अवधारणा के संकीर्ण अर्थ में नहीं।

(2) धर्म को राजनीति के साथ मिलाकर मूल्यपरक राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए।

(3) धर्मनिरपेक्षता एवं पंथनिरपेक्षता की भारतीय भावना को विविध मंचों पर उठाया जाना चाहिए ; उनके अवधारणागत अन्तर पर व्यापक विमर्श किया जाना चाहिए ।

(4) पंथनिरपेक्षता की सही समझ विकसित करने हेतु अन्तः धार्मिक और सांस्कृतिक अन्तःक्रियाएं होनी चाहिए।

(5) चुनाव के दौरान धार्मिक एवं जातिगत वैमनस्यता फैलाने वाले राजनीतिज्ञों से कठोरता पूर्वक निपटा जाना चाहिए।

(6) किसी भी प्रकार के धार्मिक तथा जातीय झंझावात हेतु जिम्मेदार राजनीतिज्ञों को चुनाव प्रक्रिया से पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए।

अन्त में विमर्श का समापन डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के कथन से करना चाहूँगा– ''मैं महसूस करता हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग जिन्हे संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए, खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा..... ।''

संदर्भ

1974 AIR 1389, 1975 SCR (I) 173.

Chandra, Satish (1997) *Histriography, Relegion & Stae in Medeival India,* New Delhi, Har Anand Pub.

कश्यप, सुभाष (1996) *हमारा संविधान* ,नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया

कौटिलीय अर्थशास्त्र, प्रथम अधिकरण, अध्याय–18

महर्षि कणाद, वैशेषिक दर्शन, 1–1–2

महर्षि व्यास :*महाभारत*

Gahlot, N.S. (1998) (edited) *Current Trends in Indian Politics,*New Delhi, Deep & Deep Pub.

Gerald, James Larson (2001) (edited) *Religion and Personal Law in India :A call to Judgement* Bloomington , Indiana University Press

Holyoake, G.J. (1896) *The Origin and Nature of Secularism*,London, Watts Co.

पूर्व मीमांसा, 1–1–2

Kant, Immanuel (2001) *Religion and Rational Theology,*Cambridge University Press

Kasmir, Barry A. and Keysar, Ariela (2007) *Secularism & Secularity : Contemporary International Perspective* C.T. Institute for the Study of Secularism in Society and Culture (ISSSC)

संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा

Mishra, V.B. (1987) *Evolution of the Constitutional History of India* 1773-1947, Delhi, Mittal Pub

Nanda, B. K. (2010) *Road to Pakistan : The life and Times of Mohammad Ali Jinnah*, Delhi : Routledge pub

Online Encyclopedia of Mass Violence, Chronological Inex : Hindu Muslim Communal Riots in India I & II (1946-1985 and 1986-2011).

Singh, Amar (2003) *Religion and Politics : Gandhaian Perspective in the Present Context* ,New Delhi : Deep & Deep Pub.

Smith, Donald E. (1963) *India as a Seculer State,* Bombay, Oxford University Press

Thomas, A.V. (1974) *Christians in Secular India,* New Jersey, Associated University Presses

Tylar, E.B. (1871) *Primitive Culture : Researches Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom* Vol.1,London, Jahn Murra

Vital State Communal Violence in Idnia , PRS India, Centre for policy Research (CPR) (New Delhi).

गाबा, ओ0पी0 (2016) *राजनीति चिंतन की रूपरेखा* ,मयूर पेपर बैक्स

Zuckerman p. and R. Shook, John (2017) (edited) *The oxford Handbook of Secularism,* Newyork : Oxford University Press